कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद कन्नौज।

पत्रांक / बेसिक / मान्यता नवीनी0 /   / 2021–22 दिनांक :– 19/07/2021

प्रबन्धक,
सेन्ट जेवियर्स स्कूल, कन्नौज
बॉगर पुलिस लाइन रोड, कन्नौज

विषयः–प्राथमिक विद्यालय की अस्थायी मान्यता के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक प्रबन्धक, सेन्ट जेवियर्स स्कूल, कन्नौज बॉगर पुलिस लाइन रोड कन्नौज को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र संख्या बेसिक / मान्यता / अस्थाई नवीन / 11142–45 / (4) 2009–10 दिनांक 30.03.2010 के द्वारा अस्थायी मान्यता प्रदान की गयी थी। उक्त के संदर्भ में शिक्षा निदेशक, बेसिक उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या डी0ई0 / बे0शि0प0 / 2828–2919 / 2010–11 दिनांक 07.07.2010 द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि प्रा0वि0 को दी गयी अस्थायी मन्यता भी स्थाई प्रकृति की होगी इसे नियमित नवीनीकरण कराये जाने की आवश्यकता नही हैं।

अतः शिक्षा निदेशक, बेसिक उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 07.07.2010 एवं नगर शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र जनपद कन्नौज की आख्या दिनांक 01.07.2021 के परिपेक्ष्य में सेन्ट जेवियर्स स्कूल, कन्नौज बॉगर पुलिस लाइन रोड कन्नौज की अस्थायी मान्यता किसी भी दशा में समाप्त नही समझी जायेगी। भलें ही विद्यालय की अस्थायी मान्यता के 5 वर्ष पूरे हो गये हो।

(के0के0ओझा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कन्नौज।

पृ0सं0 / बेसिक / मान्यता नवीनी0 / 1384-86 / 2021–22 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि–निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, कानपुर मण्डल कानपुर।
2. खण्ड शिक्षा अधिकारी, छिबरामऊ।
3. कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कन्नौज।

Principal 26/01/2024
St Xavier s Senior Secondary Schoo
Police Line Road Kannauj (U.P.)

St. Xavier's Sr. Sec. School
Kannauj
Manager/Secretory

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
जनपद कन्नौज।

सेवा में,

प्रबन्धक,
सेन्ट जेवियर्स स्कूल,
पुलिस लाइन रोड, कन्नौज
जनपद कन्नौज।

पत्रांक / बेसिक / मान्यता / 10706-10 / 2020–21 / दिनांक :– 12-03-2021

विषयः– **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।**

महोदय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 30.08.2019 और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मै **सेन्ट जेवियर्स स्कूल, पुलिस लाइन रोड, कन्नौज, जनपद कन्नौज,** को शासनादेश सं0 सं0–89 / अरसठ–3–2018–2041 / 2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी 2019 एवं शासनादेश संख्या 196 / अड़सठ–3–2020–2041 / 2018, दिनांक 29 जून, 2020 यथा संशोधित प्राविधानों के अनुसार तारीख 01.04.2021 से 31.03.2022 तक 01 वर्ष की अवधि के लिए **कक्षा 06 से 08 तक हिन्दी / अंग्रेजी माध्यम** के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अध्यधीन है।

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में **कक्षा 08** के पश्चात् मान्यता / सबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथा स्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 से निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रहेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक की किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
   - प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
   - किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
   - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
   - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले ग्रत्येक बालक की नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।
   - अधिनियम के उपबंध के अनुसार निषक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
   - अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु वह यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताए अर्जित करेगें।
   - अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगें।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठयचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैः–
   i) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :– 2000 वर्ग मीटर
   ii) कुल निर्मित क्षेत्र :– 1000 वर्ग फिट

iii) क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल :– –
iv) कक्षाओं की संख्या :– 04
v) प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह भण्डारागार के लिए कक्ष :– 04
vi) बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय :– 06 बालक एवं 06 बालिका
vii) पेयजल सुविधा :– हैण्डपम्प, समरसेबिल।
viii) मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई :– है
ix) बाधारहित पहुँच
x) अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपकरणो/पुस्तकालय की उपलब्धता :– है।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षांए नहीं चलाई जाएगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकांउटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाता चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक....47.......है। कृपया इसे नोट लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किय जाए।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय,

(के0के0ओझा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद–कन्नौज

पृष्ठांकन/बेसिक/मान्यता/ /2020–21/ तददिनांक :–

प्रतिलिपिः– निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. सचिव, उत्तर प्रदेश, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, (बेसिक), कानपुर मण्डल, कानपुर।
4. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद–कन्नौज।
5. कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद–कन्नौज

26/01/2024
Principal
St Xavier's Senior Secondary School
Police Line Road Kannauj (U.P.)

St. Xavier's Sr. Sec. School
Kannauj
Manager/Secretory